Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 04/2022
Rukhsar Khatoon …….....Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors .....Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में नई अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक–29.09.2018 को गठित चयन समिति की आयोजित बैठक में लिए गये कार्यवाही के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–25089/2018 में दिनांक–21.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका की अनुपस्थिति है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित आवेदन के अनुसार वर्ष 2017 में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत पूर्णिया जिला के विभिन्न पंचायतों में अनुज्ञप्ति हेतु हिन्दी दैनिक में विज्ञापन सं0–01/2017 प्रकाशित की गई। प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध आवेदक के साथ अन्य अभ्यर्थियों ने अपने–अपने पंचायत के लिए सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन किया। प्रकाशित विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण रखा गया तथा कम्प्यूटर ज्ञान वाले को प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख किया गया था, परन्तु यह स्पष्ट नहीं था कि किस प्रकार की कम्प्यूटर योग्यता होनी चाहिए। दरियापुर पंचायत के लिए प्रकाशित मेधा सूची में आवेदिका प्रथम स्थान पर थी। असावधानीवस कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। जिसपर चयन समिति द्वारा समय सीमा निर्धारित कर सभी पर्याप्त कागजात जमा करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। आपत्ति के निराकरण के बाद मेधा सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें आवेदन अपूर्ण बताकर आवेदिका के अभ्यर्थित्व को अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिनके साथ ऐसी समस्या थी। उन्हें पर्याप्त मौका दिया गया, परन्तु आवेदिका को उक्त आशय की सूचना किसी भी माध्यम से नहीं दी गई। चयन समिति द्वारा ऐसे इन बिन्दुओं	

Web Copy Not Official.

	लगातार 02.03.2023	को नजर अंदाज करते हुए विपक्षी सं0–07 (नेहा परवीन), 08 (मो0 क्रमशः शहनाज आलम) एवं 09 (मो0 इंतेखाब आलम) का चयन कर लिया गया जो पूर्णतः अवैध है। इनका आगे कथन है कि चयन समिति के खिलाफ इनके सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आपत्ति दर्ज किया गया, परन्तु उनके द्वारा इसपर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त कारणों से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–25089/2018 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर करने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में दायर पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत कर न्याय निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–07 नेहा परवीन के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। जिला चयन समिति द्वारा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित चयन सूची पूर्ण रूपेण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अनुसार वैध है। विपक्षी सं0–07 नेहा परवीण अपने शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक में 57.06% एवं इंटरमिडियट में 72.40% प्राप्तांक धारित करती है। संबंधित विज्ञापन में दरियापुर पंचायत के लिए कुल 3 अनुज्ञप्ति में से 02 सामान्य वर्ग एवं 01 पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। पिपक्षी सं0–07 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित अनुज्ञप्ति के विरूद्ध चयनित हुए है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में चयन समिति के निर्णय को वैध बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0–08 मो0 शहनवाज आलम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला चयन समिति द्वारा अनुज्ञप्ति की बहाली हेतु लिया गया निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अनुसार सही है। विपक्षी सं0–08 को शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक में 58% एवं इंटरमिडियट में 64% प्राप्तांक के साथ कम्प्यूटर योग्यता में ए0डी0 सी0ए0 की डिग्री प्राप्त था। इनका चयन पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध हुआ है। इस प्रकार इनके द्वारा अपने चयन को पूर्णतः नियमानुसार बताते हुए आवेदिका के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0–09 मो0 इंतखाब आलम के विद्वान अधिवक्ता का	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 02.03.2023	कथन है कि वर्ष 2017 में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत पूर्णिया जिला के विभिन्न पंचायतों में अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–01/2017–18 में कुल 16 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। क्रमशः डगरूआ के दरियापुर पंचायत में 03 रिक्तियों के विरूद्ध विपक्षी सं0–07 नेहा परवीन एवं विपक्षी सं0–08 मो0 शहनवाज आलम का चयन किया गया तथा एक अनुज्ञप्ति रिक्त रहा। आवेदिका रूखसार खातुन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त चयन के विरूद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–25089/18 दायर करते हुए विपक्षी सं0–07 एवं 08 को तो पक्षकार बनाया गया, परन्तु इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। इनके द्वारा आवेदन के साथ शैक्षणिक, आवासीय, कम्प्यूटर योग्यता, जाति, जन्म तिथि, चरित्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र संलग्न करते हुए आवेदन किया गया। इनके द्वारा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु सभी वांछित अर्हता को पूर्ण करते हुए चयन समिति द्वारा नियमानुसार चयन किया गया जो पूर्णतः वैध है। इस प्रकार दायर पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा पत्रांक–41, दिनांक–04.06.2022 के माध्यम से मंतव्य समर्पित करते हुए दर्शाया है कि श्रीमती रूखसार खातुन, पति–नुरूल होदा, पंचायत–दरियापुर, प्रखंड–डगरूआ का नयी जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु प्राप्त आवेदन जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में इनका आवेदन पत्र क्रम सं0–03 सं 12 तक भरा हुआ नहीं रहने के कारण आवेदन पत्र अपूर्ण एवं आपत्ति अस्वीकृत किया गया है। तदालोक में इनका चयन नहीं किया गया। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन का क्रम सं0–03 से 12 तक कॉलम भरा हुआ नहीं रहने तथा आपत्ति अस्वीकृत रहने के कारण चयन समिति द्वारा इनके अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया। आवेदिका द्वारा किया गया यह दावा कि उनके द्वारा आपत्ति निराकरण के समय चयन समिति को उपलब्ध कराये गये संबंधित दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया, पोषणीय नहीं है। क्योंकि आवेदिका द्वारा आवेदन जमा करने के समय सीमा के तहत् दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार चयन समिति के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता	

Web Copy. Not Official.

		है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.